प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-2/2022-23/ No.Au/Trg/11-2/2022-23/

दिनांक: 10 अक्टूबर 2022

Date: 10 October 2022

अनुभागीयआदेशसं./SECTIONAL ORDER NO.210

दिनांक 22 सितम्बर 2022 के अनुभागीय आदेश सं. 182 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री कन्नन एस.एस, स.ले.प.अ/जनरल को श्री किरण के.वी, स.ले.प.अ/प्रशासन के स्थान पर 17 से 18 अक्टूबर 2022 तक आरटीआई, चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑनसाइट सत्रों 'सूचना का अधिकार अधिनियम और अन्य कानूनी पहलू' के लिए नामित किया गया है।

In partial modification to SO No.182 dated 22 September 2022, Shri Kannan S.S, AAO/General has been nominated for the training on "Right to Information Act and other legal aspects" to be conducted by RTI, Chennai from 17 to 18 October 2022 in place of Shri Kiran K.V, AAO/Administration/Au II.

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तिथि पर 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 07 अक्टूबर 2022 के आदेशानुसार)

ह. Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रति ल प:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक़ .प.ले)-I)/(ले.पII)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए